कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक / तक.अधि. / 2023 / 6031 कटघोरा, दिनांक 21-07-2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Additional 94.293 Ha. Revenue Forest Land of Gevra OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh (**Registration No. FP/CG/MIN/41389/2019 dated 05.11.2019**)

संदर्भ : 1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू—प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र./भू—प्रबंध/खनिज/331—271/1240 दिनांक 22.05.2023

2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा का पत्र क्र./एसईसीएल/मप्र/गेक्षे/वन--पर्या.2023/194 दिनांक 03.07.2023

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा गेवरा ओपन कास्ट परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ऑन लाईन/ऑफ लाईन अनुशंसा प्रस्तुत किया गया था जिसके परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव में 06 ऑन लाईन कमिया तथा 05 ऑफ लाईन कमियॉ पाई गयी थी, जिसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

आन लाईन कमियॉ

क्रमांक	ऑनलाईन कमियॉ	अनुपालन
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 188.586 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 190.00 हे. लिया गया है जो 1.414 हे. अधिक है। अतएव वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 188.586 हे. वनभूमि का चयन कर वेबसाईड पर अपलोड करें।	आवेदक विभाग द्वारा 1.414 अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।
2	फार्म ए के पार्ट –2 के बिंदु क्रमांक 13 में अपलोड मानचित्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया है।	फार्म ए के पार्ट –2 के बिंदु क्रमांक 13 में में वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर मानचित्र अपलोड किया जा चुका है।
3	फार्म ए के पार्ट –2 के बिंदु क्रमांक 07 एवं प्रपत्र के बिंदु (vi) में दूरी 10 किमी. से अधिक लेख किया गया है दोनो जानकारी में विसंगती है जिसे सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करें।	फार्म ए के पार्ट –2 के बिंदु क्रमांक 07 एवं प्रपत्र के बिंदु (vi) में दूरी सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4	फार्म ए के पार्ट–2 के बिंदु क्रमांक 13 में निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 एवं प्रपत्र –3 को एक ही फरमेट में तैयार कर अपलोड किया गया है।	फार्म ए के पार्ट–2 के बिंदु क्रमांक 13 में निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 एवं प्रपत्र –3 को अलग–अलग फारमेट में तैयार कर वेब पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है।
5	फार्म ए के पार्ट –2 के अतिरिक्त जानकारी में आवेदित राजस्व वन क्षेत्र हेतु कलेक्टर का एन.ओ.सी. वेब पोर्टल में अपलोड नही किया गया है।	आवेदित राजस्व वनक्षेत्र हेतु कलेक्टर का एन.ओ.सी. संलग्न है एवं उसे वेब पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है।

6	प्रस्ताव के साथ आवेदित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न नही है।	प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।

ऑफ लाईन कमियॉ

क्रमांक	ऑनलाईन कमियॉ	अनुपालन
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल के हस्ताक्षर नही है।	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र मे वनमंडलाधिकारी, के हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन संलग्न है।
2	व्यवस्थापन प्लान वन मंडलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक एवं जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित नही किया गया है न ही महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. के हस्ताक्षर है।	व्यवस्थापन प्लान में अवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. का हस्ताक्षर एवं वन मंडलाधिकारी व जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।
3	रिक्लेमेशन प्लान वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित नही है न ही महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. के हस्ताक्षर है।	वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. के हस्ताक्षर सहित रिक्लेमेशन प्लान संलग्न है।
4	चेकलिस्ट क्रमांक 35 में 15 कि.मी. परिधि के संलग्न नक्शे में वनमंडलाधिकारी एवं महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल.के हस्ताक्षर नही है।	15 कि.मी. के परिधि के नक्शे मे वनमंडलाधिकारी एवं महाप्रबंधक एस.ई.सी. एल. के हस्ताक्षर कर नक्शे संलग्न है।
5	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 188.586 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 190.00 हे. लिया गया है जो 1.414 हे. अधिक है। अतः 1.414 अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन पत्र अथवा रकबा 188.586 हे. का संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर संलग्न करें।	आवेदक विभाग द्वारा 1.414 अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।

संलग्न : पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियों में।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 21-07-2023

क्रमांक/तक.अधि./2023/6032

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर–19, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा